भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4212
दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 को उत्तर देने के लिए

आंध्र प्रदेश में मिशन शक्ति की स्थिति

4212. श्री जी. लक्ष्मीनारायण:
श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी

क्या **महिला एवं बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश में जिलावार कितने वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) स्थापित किए गए हैं और उनकी प्रचालनात्मक स्थिति क्या है, जिलावार कितने महिला लाभार्थियों को सेवा प्रदान की गई है और उनके कार्यकरण में किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) उक्त राज्य में स्थापित नारी अदालतों की जिलावार संख्या कितनी है और इनमें से जिलावार कितने मामलों का समाधान किया गया है जिससे महिलाओं के लिए न्याय और वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा मिला है;

(ग) उक्त राज्य में स्वाधार गृह सुविधाओं और कामकाजी महिला छात्रावासों की जिलावार संख्या कितनी है और सेवा प्रदान की गई अथवा समायोजित की गई महिला लाभार्थियों की संख्या और छात्रावासों की औसत अधिभोग दर जिलावार कितनी है;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त योजनाओं के लिए आवंटित, संवितरित और उपयोग की गई निधियों का जिलावार ब्यौरा क्या है; और

(ड.) सरकार द्वारा कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं की जरूरतों को पूरा करने में इन योजनाओं की प्रभावकारिता में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क): वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) व्यापक मिशन शक्ति के अंतर्गत संबल वर्टिकल का एक घटक है। यह निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा ग्रसित और संकटग्रस्त

महिलाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान करता है। यह जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और सलाह, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता और मनोसामाजिक परामर्श जैसी सेवाएं प्रदान करता है। वर्तमान में देश भर में स्वीकृत 878 वन स्टॉप सेंटरों (ओएससी) में से 802 ओएससी कार्यशील हैं और 30.11.2024 तक 10.43 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की जा चुकी है।

आन्ध्र प्रदेश राज्य में 26 वन स्टॉप केन्द्र (ओएससी) अनुमोदित किए गए जो सभी 26 जिलों में एक-एक हैं। सभी 26 ओएससी कार्य कर रहे हैं। इन ओएससी की स्थापना से लेकर 30.11.2024 तक 42,699 महिलाओं की सहायता प्रदान की गई है।

(ख): नारी अदालत मिशन शक्ति के संबल घटक के अंतर्गत एक नया घटक है। इसे वर्तमान में पायलट आधार पर असम राज्य और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग): आन्ध्र प्रदेश राज्य में 28 शक्ति सदन (स्वाधार गृह) और 23 सखी निवास (कामकाजी महिला छात्रावास) कार्य कर रहे हैं। अब तक शक्ति सदन (स्वाधार गृह) और सखी निवास (कामकाजी महिला छात्रावास) में क्रमशः 950 और 730 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं।

(घ): पिछले तीन वर्षों के दौरान योजना-वार और वर्ष-वार जारी और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

(राशि लाख में)

क्र.सं.	**योजना**	**2021-22**		**2022-23**		**2023-24**	
		जारी की गई	**उपयोग किया गया**	**जारी की गई**	**उपयोग किया गया**	**जारी की गई**	**उपयोग किया गया**
1	वन स्टॉप सेंटर	249.57	197.25	72.96	33.04	605.57	418.42
2	शक्ति सदन	0	0	0	0	1,160.82	970.18
3	सखी निवास	0	0	0	0	21.52	21.52

(ड.): मिशन शक्ति दिशा-निर्देशों के अनुसार, ये योजनायें केन्द्र प्रायोजित हैं और केन्द्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इन योजनाओं के समग्र कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। इसके अलावा, वर्ष में एक बार, कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर इन योजनाओं की समग्र गतिविधियों की प्रगति की निगरानी करता है और उद्देश्यों की प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा करता है। इसके अलावा, मंत्रालय के अधिकारी बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा करके योजना की निरंतर समीक्षा करते हैं।

*****